

## BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. \_\_\_\_\_

Dated: 21-03-2024

Certified that the existing building Wisteria Academy (name of the building or premises) at Rawatyana, Old Sagar Road, Lalitpur (address) comprised of One (ground floor) and One (upper floor) owned/occupied by Wisteria Academy (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of UPSCIDCO (Name of Department/ Govt.) on 04-03-2024 (date of inspection) in the presence of \_\_\_\_\_ (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy up to classes 12<sup>th</sup> (X/ XII) with effect from 04-03-2024 for a period of 03-03-2024 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

Issued on 21-03-2024 by

Signature with Seal: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Designation: आध्यापिका अभियन्ता

Name & Address of Department/ Office: बुद्धि विभागाध्यक्ष कार्यालय, ललितपुर

बैपलपमेन्ट कारपोरेशन, लि०  
श्री चर्चा वेग इन्टर कालिब के पास, ललितपुर



प्रपत्र 'अ'

(नियम 14 का उपनियम (2) देखिये )

भवन निर्माण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

प्रेषक-

नियत प्राधिकारी,  
विनियमित क्षेत्र, ललितपुर  
जिला- ललितपुर (उ.प्र.)

सेवा में,

श्रीमती रुषा जयसवाल पत्नी श्री सुभाष जयसवाल  
निवासी/मु0- लक्ष्मीपुरा  
जिला- ललितपुर (उ.प्र.0)

महोदय,

कालौनी/गार्ग राधतयाना स्थित भूमि सं. 2999 (फ्री होल्ड डीड) गि0 वार्ड नं0 21 ललितपुर में निर्माण हेतु अनुज्ञा देने के लिये आपके सं.सं. 179/16-17 दिनांक 08.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे आधिकारिक सूचित करना है, कि नियत प्राधिकारी द्वारा गिम्नलिखित आधारों पर स्वीकृति दे दी गयी है।

1. स्वामित्व के रूप में यह स्वीकृति मानचित्र किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।
2. स्वामित्व सिद्ध न होने अथवा किसी अन्य का स्वामित्व होने पर यह स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
3. स्वामित्व संबंधी कोई भी विवाद होने पर माननीय न्यायालय का आदेश आवेदक पर बाध्यकारी होगा।
4. स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कोई भी निर्माण कराने पर यह निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी और प्रारम्भ किये जा चुके निर्माण पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. निर्माण कार्य करते समय निर्धारित प्रपत्र 'अ' पर सूचना इस कार्यालय में देना अनिवार्य है।
6. निरीक्षण के दौरान कर्नलरी अधिकारी के अवलोकनार्थ मानचित्र निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
7. यह निर्माण, मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा।
8. स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध सरकारी/अर्धसरकारी/ग्राम समाज/नगरपालिका नजूल या किसी भी भूमि पर अथवा किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण, दरवाजा खिडकी, शौचालय, छप्परा, बालकनी, आदि निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है।
9. जल प्रवाहित शौचालय का निर्माण संतोषजनक रूप से नहीं किया जाता है तो यह स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।
10. किसी भी न्यायालय में निर्माण कार्य के पर बाध्यकारी होगा।
11. मानचित्र में निर्दिष्ट खुले गार्ग में नियमानुसार वृक्षारोपण अनिवार्य है।

कार्यालय की मुहर.....

कार्यालय सूचना संस्था.....



नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर